न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन भू–अभिलेख अधिकारी बालोतरा

पीठासीन अधिकारी:– अशोक कुमार, आर.ए.एस.

राजस्व आवेदन संख्या :– 70/2025

जी.सी.एम.एस. नम्बर :– 2025/107

प्रार्थीनी	बनाम	विप्रार्थीगण
मिरगो पत्नि अचलाराम जाति मेगवाल निवासी रूपादेवी, दुधवा तहसील पचपदरा जिला बालोतरा		1.विरधाराम पुत्र लिखमाराम 2.अनाराम पुत्र अचलाराम 3.आदुराम पुत्र अचलाराम 4.मानी पत्नि अचलाराम 5.धनाराम पुत्र खेमाराम 6.रूपाराम पुत्र खेमाराम 7.रूखमों पत्नि खेमाराम 8.भटाराम पुत्र विराराम जाति मेगवाल, निवासी रूपादेवी, दुधवा तहसील पचपदरा जिला बालोतरा 9.राजस्थान सरकार जरिए तहसीलदार पचपदरा

राजस्व आवेदन अन्तर्गत धारा 111,128 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956

उपस्थिति–

1.श्री प्रेमराज पंवार अधिवक्ता प्रार्थीगण

2.विप्रार्थीगण एकपक्षीय

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी (S.D.O.) बालोतरा

आदेश

दिनांक 27/10/2025

1.संक्षिप्त में आवेदन के सुसंगत तथ्य इस प्रकार है,कि प्रार्थीनी की खातेदारी भूमि ग्राम रूपादेवी पटवार हल्का दुधवा तहसील पचपदरा की खेत खसरा संख्या 462/328 क्षेत्रफल 8.0128 हैक्टेयर, भूमि अवस्थित है। जिस पर प्रार्थीनी का शान्तिपूर्वक कब्जा काश्त चला आ रहा है। प्रार्थीनी की भूमि के सेढा सेढ विप्रार्थीगण की भूमि आई हुई है। वर्षा ऋतु के समय प्रार्थीनी की भूमि के सेढो को लेकर विप्रार्थीगण द्वारा दखलदान्जी की जाती है,और आये दिन सीमाओ को लेकर पक्षकारान मे तनाजा रहता है। अतः प्रार्थीनी द्वारा ग्राम रूपादेवी पटवार हल्का दुधवा तहसील पचपदरा की खेत

उपखण्ड अधिकारी
(S.D.O.) बालोतरा

खसरा संख्या 462/328 क्षेत्रफल 8.0128 हैक्टेयर, भूमि की नेखमवंदी करवाने हेतु यह आवेदन पत्र पेश किया है।

2.प्रार्थीनी का आवेदन दर्ज रजिस्टर किया गया। विप्रार्थीगण को जरिए रजिस्टर्ड नोटिस तलब किया गया। विप्रार्थीगण के नोटिस तामील शुदा प्राप्त हुए। विप्रार्थीगण को सुनवाई के पर्याप्त अवसर दिए जाने के उपरांत भी उपस्थित नहीं होने के कारण विप्रार्थी के विरुद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई।

3.हमनें प्रार्थीनी अधिवक्ता की बहस सुनी। प्रार्थीनी अधिवक्ता ने आवेदन के तथ्यो को दोहराते हुए बहस में निवेदन किया कि प्रार्थीनी की खातेदारी भूमि ग्राम रूपादेवी पटवार हल्का दुधवा तहसील पचपदरा की खेत खसरा संख्या 462/328 क्षेत्रफल 8.0128 हैक्टेयर, भूमि अवस्थित है। जिस पर प्रार्थीनी का शान्तिपूर्वक कब्जा काश्त चला आ रहा है,प्रार्थीनी की भूमि के सेढा सेढ विप्रार्थी की भूमि आई हुई है,वर्षा ऋतु के समय प्रार्थीनी की भूमि के सेढो को लेकर विप्रार्थीगण द्वारा दखलदान्जी की जाती है,और प्रार्थीनी की खातेदारी भूमि की पुरानी गाढो को हटवाने का प्रयास करते रहते है तथा प्रार्थीनी की खातेदारी भूमि में आये दिन अवैध कब्जा करने का प्रयास किया जाता है,और आये दिन सीमाओ को लेकर पक्षकारान में तनाजा रहता है। विप्रार्थी झगड़ालू प्रवृति का होने के कारण आये दिन प्रार्थीनी को उसकी खातेदारी भूमि की सीमाओं को लेकर विवाद करते रहते है। प्रार्थीनी द्वारा विप्रार्थी को मना करने के उपरांत भी विप्रार्थी प्रार्थीनी की खातेदारी भूमि में दखलदान्जी करने में बाज नहीं आ रहे है। अंत में निवेदन किया कि प्रार्थीनी की खातेदारी भूमि ग्राम रूपादेवी पटवार हल्का दुधवा तहसील पचपदरा की खेत खसरा संख्या 462/328 क्षेत्रफल 8.0128 हैक्टेयर भूमि की नेखमबन्दी के आदेश फरमावे जावे।

4.हमने उभयपक्ष अधिवक्ता की बहस सुनी और बहस पर मनन किया तथा पत्रावली पर उपलब्ध राजस्व रिकॉर्ड का गम्भीरतापूर्वक अवलोकन किया तथा विधि के परिप्रेक्ष्य में तथ्यों पर विवेचन किया। जिसमें पाया कि ग्राम रूपादेवी पटवार हल्का दुधवा तहसील पचपदरा की खेत खसरा संख्या 462/328 क्षेत्रफल 8.0128 हैक्टेयर, भूमि प्रार्थीनी की खातेदारी में दर्ज है,जो पत्रावली के संलग्न विवादित भूमि की जमावंदी संवत 2079-2082 का अवलोकन करने से स्पष्ट है। इस प्रकार प्रार्थीनी विवादित भूमि की रिकार्डड खातेदार है,और रिकार्डड खातेदार होने के कारण विवादित भूमि की सीमाओ को लेकर सेढा पड़ौसीयो मे सीमा विवाद होना वताकर विवादित भूमि की नेखमवंदी करवाने हेतु आवेदन पत्र पेश किया गया है। हस्तगत प्रकरण के निस्तारण के लिए हम यहां धारा 128 आर. एल.आर. का उल्लेख करना उचित समझते है,जिसके अनुसार :-धारा 128 सीमा विवाद-सम्बन्धी समस्त विवाद भू-अभिलेख अधिकारी द्वारा धारा 111 में निर्धारित रीति से तय किए जायेगें:

1.(परन्तु खेतो के सीमाओं सम्बन्धी आवेदन-पत्र,जहां यधपि ऐसी सीमा के विषय मे कोई विवाद विधमान नहीं हो किन्तु सही सीमा चिन्हों के अभाव में ऐसी विवाद उठानें की सम्भावना हो तो तहसीलदार को ही पेश किए जायेगें तथा उसी के द्वारा निपटाये जायेगें)

उक्त प्रावधान से स्पष्ट है,कि सीमाओ मे विवाद की स्थिति होने पर विवादो का निपटारा न्यायालय हाजा के स्तर से किया जाना है। प्रार्थीनी की ओर से ऐसा कोई दस्तावेजी साक्ष्य

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी (S.D.O.) बालोतरा

उपखण्ड अधिकारी
(S.D.O.) बालोतरा

यथा–सीमाज्ञान फर्द रिपोर्ट प्रति पेश नही की गई,जिससे सावित होता हो कि विवादित भूमि की सीमाओ को लेकर विवाद हो,ऐसी सूरत मे प्रार्थीनी का आवेदन चलने योग्य नही है। ऐसी स्थिति में राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 128(1) के अनुसरण में निर्विवाद मामलो को तहसीलदार द्वारा निपटाया जाना है,अतः हस्तगत प्रकरण में हम प्रार्थीनी को अपनी खातेदारी भूमि के सीमाज्ञान बाबत् तहसीलदार के समक्ष प्रार्थना–पत्र/आवेदन प्रस्तुत करने हेतु निर्देशित करना उचित समझते है,लेकिन हस्तगत प्रकरण मे राहत प्राप्त नही कर सकते है।

–:आदेश:–

अतः उपर्युक्त विवेचन के आलोक में निष्कर्षतः आवेदन–पत्र प्रार्थीनी अन्तर्गत धारा 111,128 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 साबित नही होने के कारण खारिज किया जाता है। साथ ही प्रार्थीनी विवादित भूमि की सीमाज्ञान करवाने के बाद नेखमबंदी आवेदन पेश करने के लिए स्वतंत्र रहेगी।

(अशोक कुमार)
उपखण्ड अधिकारी
बालोतरा
27/10/2025

आदेश आज दिनांक 27/10/2025 लिखा जाकर सर–ए–इजलास सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
बालोतरा
27/10/2025

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी (S.D.O.) बालोतरा